

कार्यालय
वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुरुग्राम
वन विभाग, हरियाणा सरकार,
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष/फैक्स - 0124-2655406

क्रमांक: - D-III-56/2019/ 2201

दिनांक: - 26-09-19

सेवा में: -

वन मण्डल अधिकारी,
रेवाड़ी।

विषय: Diversion of 0.1742 ha. of forest land for laying of sewer line alongwith Rewari Narnaul Road from Rao Gopal Dev Chowk to Laxmi Nagar Rewari Division.

संदर्भ: - आपका पत्र क्र 721 दिनांक 24.09.2019


-----0-----

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लिखा जाता है कि संदर्भित पत्र द्वारा भेजे गए केस में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं।

1. उक्त प्रस्ताव में यूजर एजेंसी द्वारा एफ0सी0ए0 1980 की उलंघना की गई है। अतः सी0ए0 स्कीम दस गुना क्षेत्र की बनाई जाए।
2. यूजर एजेंसी द्वारा एफ0सी0ए0 1980 की उलंघना की गई है। अतः आप द्वारा एफ0सी0ए0 1980 की उलंघना बाबत की गई कार्यवाही का वर्णन नहीं किया गया है। जो कि केस में अंकित किया जाए।

अतः केस मूलरूप में वापिस भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि दर्शाई गई त्रुटियों को दूर करके पुनः केस इस कार्यालय को भेजे।

संलग्न/मूल प्रस्ताव।


वन संरक्षक दक्षिणी परिमंडल,
गुरुग्राम।